10.6.2018 पंचायती राज अधिनियम लागू
होने पश्चात ग्राम सेवा केन्द्र सुन्दर
मोरा पर सेवा हेतु वादीगण एवं
प्रतिवादीगण दोनों ही उपस्थित
नहीं है। वादग्रस्त भूमि को वादीगण
के द्वारा निर्माण कर लिया है।
प्रेमागण उपस्थित है। भूमि निर्माण
पर लिये जाने से वादग्रस्त भूमि
के सम्बन्ध में वादीगण का स्वत्व
व अधिकार समाप्त हो चुका है।
वाद आगे चलने योग्य नहीं है
अतः वाद इसी स्टेज पर खारिज
किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा
होकर दफ्तर से कम हो तथा
दफ्तर दाखिल हो